भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2001

जिसका उत्तर 20.12.2023 को दिया जाना है

फास्टैग उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना

2001. श्री जयंत चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत में फास्टैग वाले राजमार्ग उपयोगकर्ताओं/पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या और प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फास्टैग न होने अथवा फास्टैग से जुड़े खाते में शेष धनराशि की कमी होने की स्थिति में जुर्माने के रूप में दोगुना पथकर वसूलने के निर्देश जारी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो जुर्माना लगाए जाने के बाद से एकत्र की गई पथकर की धनराशि का ब्यौरा क्या है और पिछले 12 महीनों में जुर्माना राशि और लेन-देन की संख्या तथा दंडित किए गए प्रयोक्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस दोहरे पथकर संग्रहण को जारी रखने का इरादा रखती है और यदि हां, तो इस जुर्माने का औचित्य क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) दिनांक 30.11.2023 तक जारी किए गए फास्टैग की कुल संख्या 7,98,07,678 है। 3 दिसंबर, 2023 को समाप्त सप्ताह में राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजाओं पर (गिनती के हिसाब से) फास्टैग लेनदेन का प्रतिशत 98.9% है।

(ख) और (ग) राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि 298 (अ) दिनांक 15 मई, 2020 के अनुसार, ऐसे वाहन के उपयोगकर्ता जिनमें "फास्टैग" नहीं लगा है या बिना वैध और कार्यात्मक "फास्टैग" वाले वाहन के उपयोगकर्ताओं को सामान्य लागू शुल्क के दो गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

पिछले 12 महीनों में एनएचएआई द्वारा प्रशासित शुल्क प्लाजाओं (दिसंबर 22 से नवंबर 23) में ऐसे उपयोगकर्ताओं से एकत्रित उपयोगकर्ता शुल्क की राशि 860.38 करोड़ रुपये है और लेनदेन की संख्या 729.65 लाख है।

(घ) सरकार ने 15/16 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि से शुल्क प्लाजा के सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित कर दिया है। इसके अलावा, ऐसे वाहनों के उपयोगकर्ता जिनमें "फास्टैग" नहीं लगा है या जिन वाहनों में वैध और कार्यात्मक "फास्टैग" नहीं है, उन्हें सामान्य लागू शुल्क के दो गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा। फास्टैग के माध्यम से ईटीसी प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त कदम उठाया गया है।
